

(रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग)

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2017

का.नि.आ. 24.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, समूह 'ग' (भंडार सहायक 'क' तथा भंडार सहायक 'ख') पद भर्ती नियम, 2013 में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, समूह 'ग' (भंडार सहायक 'क' तथा भंडार सहायक 'ख') पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, समूह 'ग' (भंडार सहायक 'क' तथा भंडार सहायक 'ख') पद भर्ती नियम, 2013 में,-

(i) नियम 2 में, शब्द "वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान" और "वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान" जहां भी वे विद्यमान हों, के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" शब्दों को रखा जाएगा;

(ii) अनुसूची में :-

(क) भंडार सहायक 'ख' पद के लिए,-

(i) स्तम्भ (4) में,-

(क) शीर्षक के लिए निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर"

(ख) शब्दों, अक्षरों और अंकों में वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. एवं ग्रेड वेतन 2400 रु. के लिए निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"स्तर-4 (25500-81100 रु.);"

(ii) स्तम्भ (10) की मद (ii) में शब्दों, अंकों और अक्षरों में "वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. एवं ग्रेड वेतन 1900 रु." के स्थान पर शब्दों, अंकों और अक्षरों में "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200 रु.)" रखा जाएगा।

(iii) स्तम्भ (11) में उपशीर्षक पदोन्नति के अंतर्गत शब्दों, अंकों और अक्षरों में "वेतन बैंड-1, वेतनमान 5200-20200 रु. एवं ग्रेड वेतन 1900 रु." के स्थान पर शब्दों, अंकों और अक्षरों में "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200 रु.)" रखा जाएगा;

(ख) भंडार सहायक 'क' पद के लिए:-

(i) स्तम्भ (4) में शब्दों, अंकों और अक्षरों में "वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. एवं ग्रेड वेतन रु. 1900" के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"स्तर-2 (19900-63200)"

[फा. सं. डीएचआरडी/76257/भंडार सहायक 'क' तथा 'ख'/आरआरएस/सी/पी/02/542 /डी(आर एंड डी)/2017]

हर्षा रानी, अवर सचिव

नोट : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड-4 में का.नि.आ. 26, तारीख 23 अप्रैल, 2013 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 23rd March, 2017

S.R.O. 24.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group 'C' (Store Assistant 'A' and Store Assistant 'B') posts, Recruitment Rules, 2013, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group 'C' (Store Assistant 'A' and Store Assistant 'B') posts Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group 'C' (Store Assistant 'A' and Store Assistant 'B') posts, Recruitment Rules, 2013,-

(i) in rule 2, for the words "pay band and grade pay/pay scale" and "pay band and grade pay/scale of pay", the words "level in the pay matrix" shall be substituted;

(ii) in the Schedule,-

(a) against the post of Store Assistant 'B',-

(i) in column (4),-

(A) for the heading, the following heading shall be substituted, namely:-

"Level in the Pay Matrix";

(B) for the words, letters and figures Pay Band-1, Rs. 5200-20200 plus Grade pay of Rs. 2400, the following shall be substituted, namely:-

"Level-4 (Rs.25500-81100)";

(ii) in column (10), in item (ii), for the words, figures and letters "Pay Band-1, Rs. 5200-20200 plus Grade Pay of Rs. 1900", the words, figures and letters "Level-2 (Rs.19900-63200) in the Pay Matrix" shall be substituted;

(iii) in column (11), under the sub heading Promotion, for the words, figures and letters "scale of pay of Rs.5200-20200 plus grade pay of Rs. 1900 in PB-1", the words, figures and letters "level-2 (Rs. 19900-63200) in the Pay Matrix" shall be substituted;

(b) against the post of Store Assistant 'A',-

(i) in column (4), for the words, figures and letters "Pay Band-1 Rs. 5200-20200 plus grade pay Rs. 1900, the following entries shall be substituted, namely:-

"Level-2 (Rs.19900-63200)"

[F. No. DHRD/76257/Store Assistant 'A' & 'B'/RRs/C/P/02/542/D(R&D)/2017]

HARSHA RANI, Under Secy.

Notes : The Principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section-4, vide notification number S.R.O. 26, dated the 23rd April 2013.